राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक: प. 7 (1) कार्मिक / क–2/95 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 2.8.2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव

2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 में प्रावधान किया गया कि यदि किसी राजसेवक की संतानों की संख्या दिनांक 01.06.2002 के बाद बढ़कर दो से अधिक हो जाती है तो उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा।

इस प्रावधान को लागू करते समय आने वाली कठिनाइयों के संबंध में कार्मिक विभाग से समय–समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है। इसी क्रम में यह मार्गदर्शन चाहा गया कि क्या निराश्रित बालक को किसी राजसेवक द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाता है और इसके कारण यदि उसकी संतानों की संख्या में 01.06.2002 के बाद बढ़ोत्तरी होकर दो से अधिक हो जाती है तो क्या उस पर अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रकरण का राज्य सरकार स्तर पर गहनता से परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 जारी किए जाने के पीछे मूल भावना व उद्देश्य "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना" रहा है। और चूंकि निराश्रित बालक को, विशेषकर राजकीय शिशुगृह से, दत्तकग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि भी नहीं होती है, अपितु एक निराश्रित बालक को आश्रय ही मिलता है। राजकीय शिशुगृह में दत्तकग्रहण संबंधी प्रकिया पूर्णतया पारदर्शी एवं संदेह से परे भी मानी जा सकती है। अतः ऐसा दत्तकग्रहण उक्त प्रावधान की भावना को आहत नहीं करता है।

उक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी राजकीय शिशुगृह से निराश्रित बालक/बालिका को, विधिक प्रकिया की पालना

करते हुए, दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तकग्रहीत संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या में 01.06.2002 के बाद वृद्धि होकर दो से अधिक हो जाती है, तो ऐसे प्रकरण में, अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रयोजन के लिए, ऐसी दत्तकग्रहीत संतान को संतानों की संख्या में नहीं माना जावेगा।

सभी नियुक्ति अधिकारियों से अपेक्षा है कि अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानों को लागू करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जावे।

(भास्कर सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(ओ0 पी0 गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव